राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
दूरभाष न.:0141–2711978, 2711938
dirminority@gmail.com

क्रमांकः प. 135 / नि.अ.मा.वि. / छात्रा. संचा. / 2022–23 / पार्ट / 21670

जयपुर, दिनांकः 28/03/2023

आदेश

विषयः– सत्र 2022–23 की अवधि में जिला मुख्यालय जैसलमेर पर संचालित अनुदानित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास की क्षमता में वृद्धि के संबध में।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जैसलमेर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसरण में निम्न तालिका में अंकित अनुदानित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास की स्वीकृत क्षमता में अतिरिक्त सीट्स की वृद्धि किये जाने की अनुमति निम्नांकित प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं.	स्वीकृत छात्रावास (मुख्यालय / ब्लॉक)	स्वीकृत छात्रावास का प्रकार / क्षमता	विभागीय टिप्पणी	स्वीकृत छात्रावास की क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि (कुल क्षमता)
1.	जिला मुख्यालय जैसलमेर	बालक / 50 बैडेड	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जैसलमेर की अभिशंषा, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व उपलब्ध संसाधनों के आधार पर तथा छात्रावास में प्रवेश की मांग अनुसार एवं जिला मुख्यालय पाली में स्वीकृत 50 बालकों की क्षमता का छात्रावास संचालित नहीं होने के कारण इस छात्रावास की 50 सीट्स जिला मुख्यालय जैसलमेर पर संचालित बालक छात्रावास को हस्तान्तरित की गयी है।	+ 50 (100)

शर्तेः–

1. उक्त उल्लेखित आवंटित की गई अतिरिक्त सीट्स शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिये ही प्रभावी रहेंगी।
2. उक्त आदेश की प्राप्ति के 7 दिवस की अवधि में आवंटित की गई अतिरिक्त सीट्स के विरूद्ध जिला प्रवेश समिति के द्वारा अनुमोदित प्रवेशार्थियों को ही छात्रावास में प्रवेशित किया जावे।
3. उक्त आदेश की पालना के फलस्वरूप छात्रावासों में अतिरिक्त प्रवेशित किये जाने वाले आवासियों की सूचना निदेशालय को भिजवायी जावे, ताकि अतिरिक्त प्रवेशित किये गये आवासियों को देय प्रावधान के अनुसार अनुदान राशि का आवंटन संबंधित जिला कार्यालय को किया जा सकें।
4. शेष शर्ते यथावत रहेगी।

28.03.2023

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

कृ.पृ.उ.